न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः–64 / 2020 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः–2020 / 00104

उनवान

1. हरभान उम्र 61 साल पुत्र श्री रामरतन जाति मीना निवासी माता सूला तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।

.....अपीलांट।

बनाम

1. तहसीलदार जी तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।

....रेस्पोडेन्ट।

उपस्थितः–

1. श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 14.03.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ टोडाभीम जिला करौली में दायर वाद पत्र संख्या 33 / 2017 बउनवान रामरतन बनाम तहसीलदार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2018 के विरुद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 3 रकबा 0.06 है0 ग्राम मातासूला की रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी वादी के नाम है। यह भूमि का पूर्व खसरा नंबर 1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा है भूमि हाल खसरा नंबर 3 का रेवेन्यू ट्रेस तैयार किया गया है। लेकिन मौके पर ट्रेस से नापने पर रकबा 0.06 है0 के स्थान पर 0.03 बैठता है। इस भूमि के लगवा कृषि भूमि जिसका कोई भी खसरा नंबर दर्ज नही किया गया है तथा इसी भूमि मे वादी का रकबा 0.03 है0 है। वादी का रकबा 0.06 है0 मे मौके पर वादी का आज भी कब्जा है। भू–प्रबन्ध विभाग से यह एक लिपिकीय त्रुटि हुई है। इस प्रकार हाल खसरा नंबर 03 रकबा 0.06 का ट्रेस बैठाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जाना आवश्यक है। अतः भूमि खसरा नंबर 3 रकबा 0.06 है0 का ट्रेस बैठाया जाकर वादी के हक मे डिक्री किया जावें। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम ने दिनांक 07.06.2018 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत ने वादी के वाद पत्र की ताईद मे तहसीलदार टोडाभीम को मौके की वास्तवित रिपोर्ट ने बाबत् आदेशित फरमाया, जिसकी अनुपालना मे दिनांक 27.04.18 को तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मौके की वास्तविक रिपोर्ट मातहत अदालत मे प्रस्तुत की है। जिसमें नवीन ट्रेस का साबिक ट्रेस से मिलान करने पर एवं नवीन खसरा नंबर 3 की नाप करने पर खसरा नंबर 3 के दक्षिण मे स्थित खाली स्थान नवीन खसरा नंबर 3 के 6 ऐयर का ही हिस्सा होना एवम् साबिक खसरा नंबर 1 का हिस्सा होना स्पष्ट रूप से अंकित किया है। जिस पर अदालत मातहत ने बिना गौर फरमाये ही उक्त निर्णय पारित कर दिया। आगे कथन किया कि मातहत अदालत द्वारा उक्त आदेश दौराने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार मे कैम्प मातासूला मे किया गया है, जबकि लोक अदालत मे प्रकरणो का निस्तारण आपसी समझाईश से राजीनामा से या दोनो पक्षो की सहमति से ही किया जाना संभव है, जबकि उक्त प्रकरण मे ऐसी कोई स्थिति संभव नही होने के उपरान्त भी अदालत मातहत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 07.06.18 निरस्त फरमाया जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की अपीलांट के पिता रामरतन का स्वर्गवास हो चुका है। इसलिये उक्त आदेश बाबत् प्रार्थी अपीलांट को कोई जानकारी नही हो पाई। दिनांक 10.10.20 को अपीलांट हल्का पटवारी के पास अपनी लोन पत्रावली बाबत् ट्रेस की नकल लेने पहुंचा, तो ट्रेस मे संशोधन अभी तक नही होने बाबत पता चला। जिस पर अपीलांट उक्त आदेश की नकले आदि एकत्रित कर अपील अन्दर मियाद पेश की है। अतः देरी को कन्डोन करते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

6. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहि फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

7. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नक्शा ट्रेस मे बिना खसरा नंबर डाले, किसी भी किस्म की भूमि का स्थान रिक्त नही रखा जा सकता । ऐसी सूरत मे सेटलमेंट कर्मचारियो की नवीन ट्रेस बनाने मे भू स्पष्ट प्रदर्शित होती है। जिसे अदालत मातहत ने नजरअन्दाज कर भारी विधिक भूल की है। आगे कथन किया कि वाद वादी केवल ट्रेस में संशोधन बाबत है; जिसमे स्वयं भू–अभिलेख निरीक्षक वादी की प्लीडिंग्स को सपोर्ट करता है। उनका समर्थन करता है एवं कोई भी प्राईवेट परसन अपना विवेध दर्ज नही करता है। लेकिन अदालत मातहत ने इन सभी तथ्यों से परे जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 07.06.2018 अपास्त फरमाया जावें।

8. जवाब बहस में पैरोकार सरकार ने कथन किया कि साबिक शीट व हाल शीट मे मिलान करने पर किसी प्रकार का अन्तर नही पाया गया। अपीलांट/वादी का उद्देश्य केवल बिना नंबर की 0.03 है0 की भूमि को अपनी नक्शा ट्रेस मे मिलाने का उद्देश्य रहा है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम द्वारा पारित निर्णय मे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

9. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

10. रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2068–2071 वाके ग्राम मातासूला पटवार हल्का मातासूला तहसील टोडाभीम के अनुसार खसरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 9 कुल किता 6 कुल रकबा 1.95 है0 रामरतन पुत्र रामप्रसाद कौम मीना सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। अदालत मातहत के निर्णय के अवलोकन से जाहिर आया कि उक्त निर्णय दौराने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार मे कैम्प मातासूला मे किया गया है, जबकि लोक अदालतो का निस्तारण आपसी समझाईश से, राजीनामा से या दोनो पक्षो की सहमति से ही किया जाना संभव है, लेकिन अदालत मातहत ने अपने

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना तनकी कायम किए व बिना साक्ष्य के ही उक्त आदेश पारित किया है जो विधि के मूलभूत सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

11. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाए जाने से आंशिक स्वीकार की जाकर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के मुकदमा नंबर 33/2017 बउनवान रामरतन बनाम तहसीलदार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2018 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम करते हुए तथा उभयपक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदार करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 17.04.2023 को सुनवाई हेतु अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित हो।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 14.03.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
14/3/2023
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner